POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 फरवरी, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

हर साल 15 मार्च का दिन 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का खास मकसद उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना और जागरूकता पैदा करना है।

इसी मकसद को लेकर वर्ष 1983 से 'ग्राम गदर' छापना शुरू किया गया, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचे और गांव की भलाई के लिए उनमें सरकार से सवाल खड़े करने की हिम्मत जागे।

राजस्थान में 'ग्राम गदर' पहला भित्ती पत्र है, जो जमीनी स्तर पर आम उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है और आज भी उनके अधिकारों की जानकारी कराने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

मुझे खुशी है, आज शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण युवक भी समझदार हो रहे हैं। वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं और सरकारी नीतियों के निर्माण में पारदर्शिता चाहते हैं। वे चाहते हैं जवाबदेह प्रशासन। यही वजह है, देश में सिविल सोसायटीज के भीतर आए एक बड़े बदलाव का, जिससे आमजन सरकारी नीतियों व योजनाओं में अपनी भागीदारी चाहने लगे हैं।

सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार उन्हें अखरता है और उसे उजागर करने में भी वह पीछे नहीं रहते। 'ग्राम गदर' को ग्रामीण बन्धुओं से मिले खत इसे प्रमाणित करते हैं। मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

नए उपभोक्ता कानून-2019 की विशेषताएं

देश में उपभोक्ताओं की शिकायतें निपटाने के लिए जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें (कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन) स्थापित हैं। वर्ष 2019 में संशोधित नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता अदालतों को और शक्तियां देकर उनके क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है।

अब जिला आयोग एक करोड़ रुपए तक हर्जाने का आदेश दे सकता है। राज्य आयोग को 10 करोड़ रुपए तक का अधिकार है। वहीं, इससे अधिक की राशि का हर्जाना करने का अधिकार राष्ट्रीय आयोग को है। उपभोक्ता शिकायत राज्य और राष्ट्रीय आयोग में सीधे दर्ज हो सकती है। जिला आयोग के आदेश के खिलाफ अपील राज्य आयोग में और राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील की राष्ट्रीय आयोग में सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा।

यह अधिनियम उन मामलों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा जहां व्यापार के अनुचित तरीकों से ग्राहक को भ्रमित किया जाता हो। उपभोक्ता हित प्राधिकरण के पास खुद का विंग होगा जो विभिन्न जांच करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इनमें जांच करने के साथ संपत्ति या वस्तु जब्त करने की शक्ति भी शामिल है। भ्रामक विज्ञापन देने वालों पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर यह 50 लाख रुपए हो सकता है।

खराब वस्तु बेचने के कारण ग्राहक का नुकसान हो सकता है। नया कानून ऐसे उत्पाद निर्माता व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देता है। ग्राहक को हुई क्षतिपूर्ति के लिए अब वस्तु बेचने वाली कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। ई-शॉपिंग पर भी यह लागू रहेगा।

बीमा पॉलिसी मेच्योर होने पर भुगतान नहीं, एलआईसी दे हर्जाना

जयपुर जिले के गोविंदगढ़ निवासी सुनीता गुप्ता ने जिला उपभोक्ता मंच तृतीय में एलआईसी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद के अनुसार, 1984 में 50 हजार का बीमा कराया था। पॉलिसी 2004 में मेच्योर हो गई, लेकिन उन्हें एलआईसी ने भुगतान नहीं किया।

मामले की सुनवाई पर एलआईसी ने जवाब में कहा कि बीमा 20 साल के लिए था। परिवादिया ने 11 वर्ष का ही 37 हजार 550 रुपए बतौर प्रीमियम जमा कराया। वर्ष 2004 में पॉलिसी की अवधि पूरी होने के आठ साल बाद 2012 में उन्होंने आरटीआई से जवाब मांगा और 2013 में परिवाद प्रस्तुत किया है, जो समयावधि में नहीं है। परिवादी ने पॉलिसी परिपक्व (मेच्योर) होने के बाद समय पर मूल पॉलिसी बॉण्ड व डिस्चार्ज फार्म देकर भुगतान के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

मंच ने फैसले में कहा कि एलआईसी ने परिवादिया को न तो बाकी प्रीमियम जमा कराने का नोटिस दिया और न ही भुगतान लेने के लिए पॉलिसी बॉण्ड व डिस्चार्ज फॉर्म की मांग की। मंच ने इसे एलआईसी का सेवा दोष मानते हुए आदेश दिया कि एलआईसी सुनीता गुप्ता को जमा प्रीमियम के 37 हजार 550 रुपए मय ब्याज के लौटाए और साथ ही 10 हजार रुपए बतौर हर्जाना भी अदा करें।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2019

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 38 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2019 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'प्रदेश में ग्रामीण रोजगार की स्थिति'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2019 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2020 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय

जैसा कि विदित है 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष उपभोक्ताओं के वैश्विक संगठन 'कन्ज्यूमर इंटरनेशनल' ने 'सतत उपभोक्ता' विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।

आज जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि एक वैश्विक चुनौती बनती जा रही है, जिसके लिए समन्वित वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। उपभोक्ता संगठन जनसाधारण को निरन्तर इस चुनौती से निपटने के लिए प्रोत्साहित कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

देश की उपभोक्ता संस्थाएं भी इस अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण को जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

महिलाएं खोल सकती हैं नए उद्योग

प्रदेश की महिलाओं को उद्योग या व्यापार को बढ़ावा देने और नया उद्योग खोलने के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। राज्य सरकार की 'इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन' योजना में व्यक्तिगत महिला आवेदकों को 50 लाख रुपए तक और महिला स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराएगी।

यह योजना महिला अधिकारिता निदेशालय के माध्यम से संचालित है। योजना के तहत बैंकों के माध्यम से उद्योगों के लिए ऋण दिया जाता है। स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत लोन अनुदान दिया जाएगा। एससी/एसटी, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं को ऋण अनुदान 30 प्रतिशत होगा।

सरकारी कर्मचारी खा रहे गरीबों का गेहूं

प्रदेश में डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी हर साल गरीबों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का अयोग्य होते हुए भी 36 हजार टन गेहूं खा रहे हैं। यह योजना 2013 में शुरू हुई थी। छह वर्षों का आंकड़ा देखें तो दो लाख टन से ज्यादा गेहूं ले चुके हैं।

शिकायत मिलने पर खाद्य मंत्री रमेश मीणा के निर्देश पर शासन सचिव खाद्य सिद्धार्थ महाजन ने तहसील स्तर पर सत्यापन का आदेश दिया है। जिलों में खाद्य सुरक्षा से जुड़े ऐसे परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है और वे स्वतः नाम कटवाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक करीब 70 हजार कर्मचारियों ने नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है।

सरकार ला रही है जवाबदेही कानून

राज्य सरकार प्रदेश में जवाबदेही कानून ला रही है। कानून लागू होने के बाद लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान हो सकेगा। इस कानून से अफसरों और कर्मचारियों के मनमाने रवैये पर शिकंजा कसा जा सकेगा। सरकार कानून के तहत प्रदेश में हर पंचायत स्तर पर सूचना और सहयोग केंद्र खोलेगी, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

उदाहरण के लिए बिजली, पानी, सड़क, जैसी आम लोगों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए खुली सुनवाई होगी। उपखण्ड अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी जो समस्याओं की सुनवाई करेगी।

कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में फर्जीवाड़ा

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश में चल रहे कई प्रशिक्षण केंद्रों में हाइटेक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। केंद्रों पर सिलिकॉन मैटेरियल पर प्रशिक्षणार्थियों की अंगूठा निशानी की हू-ब-हू नकल (थंब क्लोन) बना ली गई है। इन्हीं क्लोन से रोजाना फर्जी हाजरी करके लाखों रुपए की सरकारी सहायता राशि उठाने का खेल चल रहा है।

उल्लेखनीय है, इस योजना पर केंद्र व राज्य सरकारें बड़ा बजट जारी कर रही हैं। जिसमें बेरोजगार युवक-युवतियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर बजट खाने-खिलाने का ये सारा खेल चल रहा है।

आबादी भूमि पर पंचायत का अधिकार

राज्य सरकार ने उन सरकारी जमीनों को ग्राम पंचायतों के अधीन कर दिया, जिन पर आबादी बसी हुई है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी सरकार के नाम है। इस संबंध में राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 का अधिकार प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।

सरकार ने सभी जिला कलक्टरों को कहा है कि वे संबंधित तहसीलदारों को निर्देश देकर ऐसी भूमियों का कब्जा संबंधित ग्राम पंचायत को संभलवाकर उनके नाम नामांतरण स्वीकृत करें।

दादिया प्रदेश का पहला जैविक गांव

राजधानी जयपुर से सटे दादिया गांव को राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र की प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना की तर्ज और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत यह पहल की जा रही है।

गांव में जैविक झोपड़ियां होंगी, जिनकी दीवार पर गोबर का लेपन होगा। दीवारों और छत पर लोकी, तुरई और सेम फली जैसी सब्जियां भी नजर आएगी। यहां सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा की जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। यह गांव देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि इसके लिए गांव के लोगों के साथ बैठक व सर्वे का काम शुरू किया गया है।

आदर्श ग्राम पंचायतों को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार हर जिले में बनने वाली महात्मा गांधी आदर्श ग्राम पंचायत में युवा और किसानों को जैविक खेती से जोड़ेगी और कम जल खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए उनकी मदद करेगी। उन्हें विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

गांव में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने, स्वयं सहायता समूहों को बैंक से कर्ज दिलाने, उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के विभिन्न कार्यक्रम लागू होंगें।

विद्युत उपभोक्ता क्षमता निर्माण परियोजना का दूसरा चरण

पीएम कुसुम योजना और हरित ऊर्जा प्रोत्साहन में किसानों की भूमिका

22 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने किसान ऊर्जा और उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश जारी किए। इस योजना के अंतर्गत कृषि वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को 7.5 एचपी तक के स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा पम्प लगाने और विद्युत ग्रिड से जुड़े हुए किसानों को 7.5 एचपी तक के कृषि पम्प को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत किसान पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को विद्युत वितरण कंपनी को वापस बेच भी सकते हैं।

इस योजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा तीस-तीस प्रतिशत का आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा, जबकि किसानों को सिर्फ चालीस प्रतिशत आर्थिक भार वहन करना होगा। किसान शुरुआत में पूरे पूंजीगत लागत का सिर्फ दस प्रतिशत का भुगतान और बाकी तीस प्रतिशत किसी बैंक द्वारा ऋण के माध्यम से प्राप्त कर इस योजना से जुड़ सकते हैं।

इस योजना की दो अपेक्षित भूमिकाएं हैं- पहली, इससे किसानों की प्राप्त हुई विद्युत की गुणवत्ता में सुधार होगा और दूसरा, नवीनकरणीय ऊर्जा में उनकी भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के द्वारा भारत सरकार के 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट तक बढ़ोतरी के लक्ष्य को भी बल मिलेगा। इस योजना की आगे की जानकारी स्थानीय विद्युत कार्यालय द्वारा ली जा सकती है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर